[25/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2695]

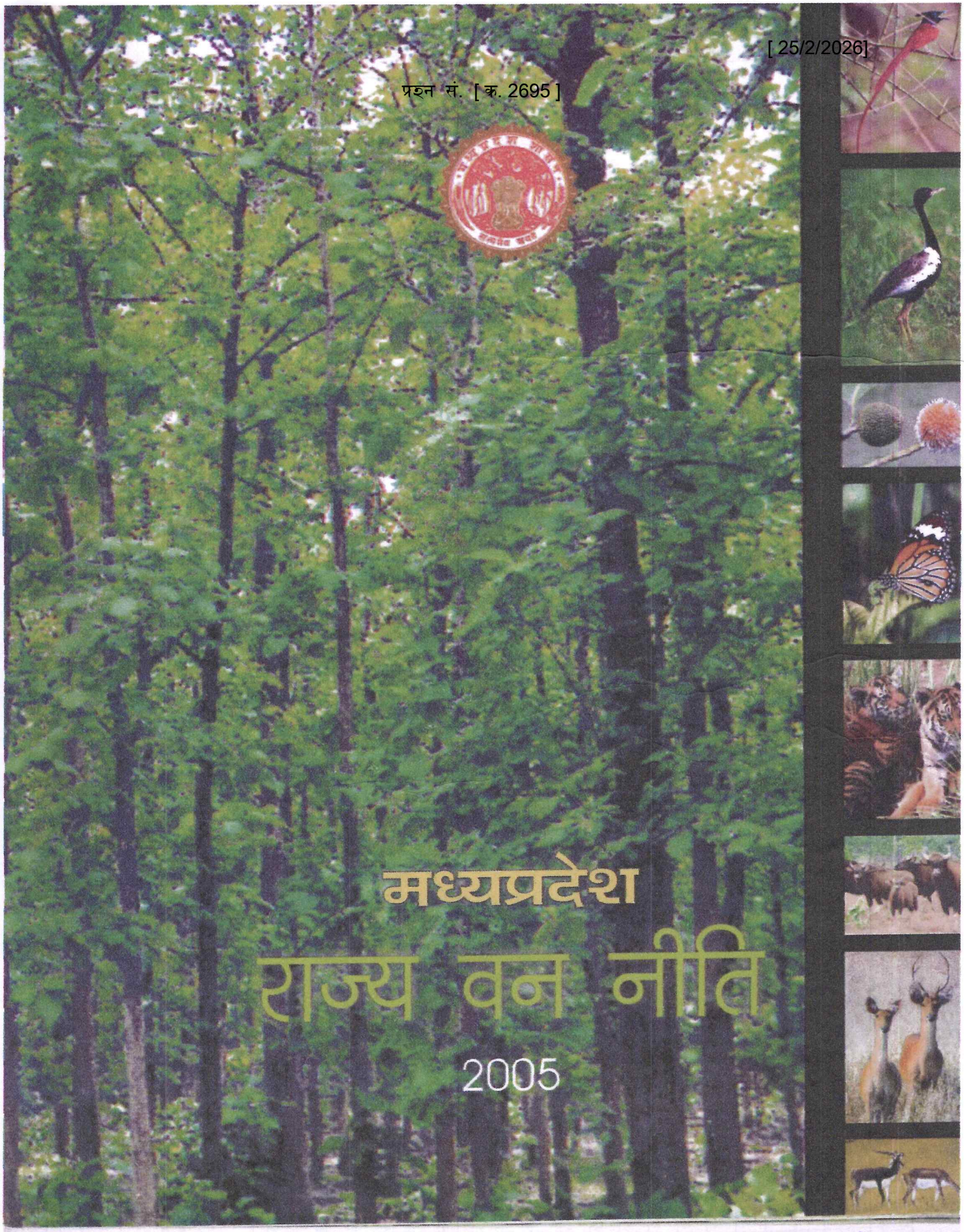

मध्यप्रदेश
राज्य वन नीति
2005

परिशिष्ट

3.4 वन प्रबंधन

3.4.1 वनों के प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक आधार पर कार्य आयोजनायें तैयार की जायेंगी जिनका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

3.4.2 समस्त वन क्षेत्रों का प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार ही किया जायेगा। अत्यधिक आयु के क्षीण हो चुके जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों में रोपण द्वारा उच्च (बीज-जनित) वनों का विस्तार किया जायेगा।

3.4.3 वन प्रबंध में वनाश्रित समुदायों के नैसर्गिक जुड़ाव के दृष्टिगत वन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य राजस्व आय प्राप्ति न होकर इन समुदायों के हितों को प्राथमिकता प्रदान करना होगा।

3.4.4 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.4.5 कार्य आयोजना की रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्रों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेगी।

3.4.6 वन क्षेत्रों का कम से कम 10 प्रतिशत सघन प्रबंधन के अधीन रखा जायेगा। इस हेतु अच्छी स्थल गुणवत्ता (Site Quality) के बिगड़े वनों का चयन किया जायेगा।

3.4.7 समय-समय पर उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का वन प्रबंधन में अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

3.8 लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी

3.8.1 शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु लोक वानिकी के माध्यम से निजी भूमि एवं राजस्व वन भूमि पर वानिकी एवं उसके वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु लोक वानिकी अधिनियम/नियमों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसमें संशोधन किया जायेगा।

3.8.2 काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति यथा संभव वनों के बाहर से करने हेतु ग्रामीणों/कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निजी पड़त भूमि पर वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कृत करने हेतु समुचित योजना लागू की जायेगी। कम जोत वाले छोटे किसानों को वानिकी हेतु प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें विशेष अनुदान राशि देने का प्रावधान किया जायेगा परन्तु इसके कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न होने देना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.8.3 पंच 'ज' अवधारणा के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रति जनता का जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु आम जनता, ग्राम पंचायतों, वन समितियों, अशासकीय संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से शासकीय वृक्षारोपणों के अतिरिक्त प्रथम चरण में आगामी तीन वर्षों में कम से कम प्रदेश की जनसंख्या के बराबर अतिरिक्त वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके उपरान्त सतत् रूप से यह अभियान जारी रखा जायेगा।

3.8.4 विस्तार वानिकी हेतु कृषकों को निजी रोपणी स्थापित कर पौधे तैयार करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। शेष पौधों एवं बीज की पूर्ति वन विभाग द्वारा की जायेगी।

3.8.5 कृषकों को निजी भूमि पर अधिक से अधिक फलदार एवं खाद्य पदार्थ देने वाली वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें महुआ, चिरौंजी आदि महत्वपूर्ण फलदार एवं खाद्य प्रजातियों के पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.8.6 कृषकों को निजी भूमि में औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.8.7 ग्रामीण क्षेत्रों में काष्ठ की मांग का विकल्प देने एवं बांस को ग्रामीणों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने के लिए ग्रामीणों को उनके घरों की बाड़ी में बांस रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं इसके लिए ग्रामीण रोपणियों की व्यवस्था की जायेगी।

(राजेन्द्र मिश्रा)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग